प्रेस नोट
दिनांक 15.04.2026

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा बलवा करते हुए जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 86/2026 धारा 191(2),191(3),115(2),352,351(3),109(1),329(3),333,131,117(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों–01. उदयभान सिंह पुत्र अवधबिहारी सिंह, 02. सूर्यभान सिंह पुत्र अवधबिहारी सिंह निवासीगण ग्राम ताजपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा को ग्राम ताजपुर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
वादी मनमोहन सिंह पुत्र साधू सिंह निवासी पूरे सुखराज सिंह, ताजपुर, थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 16.02.2026 को प्रातः लगभग 07:00 बजे विपक्षीगण सूर्य भान, उदय भान, जितेन्द्र उर्फ जीतन पुत्रगण अवध बिहारी, प्रहलाद पुत्र राजकुमार सिंह, विजय पाल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह व अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी की जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर विपक्षीगण द्वारा गाली–गलौज करते हुए लोहे की रॉड, सब्बल व कुल्हाड़ी से हमला कर प्रार्थी को घायल कर दिया गया। बीच–बचाव करने आए प्रार्थी के भाई सत्रोहन सिंह व परिवार की महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई, जिससे सत्रोहन सिंह, मंजू सिंह व शीला सिंह को चोटें आईं। शोर सुनकर ग्रामीणों के एकत्र होने पर विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 15.04.2026 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्तगण–01. उदयभान सिंह पुत्र अवधबिहारी सिंह, 02. सूर्यभान सिंह पुत्र अवधबिहारी सिंह को ग्राम ताजपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–
01. उदयभान सिंह पुत्र अवधबिहारी सिंह नि0 ग्राम ताजपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।
02. सूर्यभान सिंह पुत्र अवधबिहारी सिंह नि0 ग्राम ताजपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0– 86/2026 धारा 191(2),191(3),115(2),352,351(3),109(1),329(3),333,131,117(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 धीतेन्द्र सिंह
02. हे0का0 संजय कुमार सिंह
03. का0 राजू चौहान

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 15.04.2026

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अन्तर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे व निशानदेही से चोरी की बोलेरो, ट्रैक्टर व ट्राली बरामद–

गोण्डा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए एक अन्तरजनपदीय वाहन चोर गिरोह के 03 सदस्यों–01. रामतेज यादव उर्फ रिंकू पुत्र अमर सिंह यादव, 02. अमन कुमार पुत्र दिनेश कुमार, 03. फुरकान पुत्र जलालुद्दीन को कोल्ड स्टोर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे व निशानदेही से 01 अदद चोरी की बोलेरो, 01 अदद महिन्द्रा ट्रैक्टर व 01 अदद ट्राली बरामद की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 14.04.2026 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा कोल्ड स्टोर चौराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान एक सफेद बोलेरो वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें सवार व्यक्तियों द्वारा भागने का प्रयास किया गया। नवाबगंज पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए वाहन को घेरकर उसमें सवार तीन अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उक्त बोलेरो वाहन को जनपद सीतापुर के थाना रेऊसा क्षेत्र से दिनांक 12/13.04.2026 की रात्रि में चोरी किया गया था। साथ ही उन्होंने पूर्व में एक महिन्द्रा ट्रैक्टर मय ट्रॉली चोरी कर थाना क्षेत्र नवाबगंज के ग्राम रेहली के पास एक बाग में छिपाकर रखने की बात बताई। अभियुक्तों की निशानदेही पर बताए गए स्थान से एक महिन्द्रा ट्रैक्टर 265 डीआई (लाल रंग) मय ट्रॉली बरामद किया गया। जांच में दोनों वाहन चोरी के पाए गए, जिनके सम्बन्ध में जनपद सीतापुर के थाना रेऊसा व थाना रामपुर मथुरा में पूर्व से अभियोग पंजीकृत थे। थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण ने दिनांक 12/13.04.2026 की रात्रि में थाना रेऊसा, जनपद सीतापुर क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर के बाहर खड़ी बोलेरो गाड़ी को चोरी किया था। चोरी करने के पश्चात उक्त वाहन को अपने पास रखकर उसे बेचने के लिए उपयुक्त ग्राहक की तलाश कर रहे थे। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा लगभग 7–8 माह पूर्व अपने एक अन्य साथी राकेश के साथ मिलकर थाना रामपुर मथुरा, जनपद सीतापुर क्षेत्र के एक गांव से एक महिन्द्रा ट्रैक्टर 265 डीआई (लाल रंग) मय ट्रॉली चोरी की थी। चोरी करने के बाद ट्रैक्टर–ट्रॉली को छिपाकर रखा गया था तथा उसे बेचने के लिए लगातार ग्राहक की तलाश की जा रही थी, किन्तु कोई खरीदार नहीं मिला। अभियुक्तगण के अनुसार उनके साथी राकेश की जनपद गोण्डा में कुछ व्यक्तियों से पहचान थी, जिसके कहने पर वे चोरी किए गए बोलेरो वाहन तथा ट्रैक्टर–ट्रॉली को बेचने के उद्देश्य से जनपद गोण्डा लेकर आए। रास्ते में ट्रैक्टर–ट्रॉली को चलाने में असुविधा होने के कारण उन्होंने थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम रेहली के पास एक सुनसान बाग में झाड़ियों के बीच छिपाकर खड़ा कर दिया तथा बोलेरो वाहन से ग्राहक की तलाश में इधर–उधर घूम रहे थे। इसी दौरान दिनांक 14.04.2026 को कोल्ड स्टोर चौराहे पर पुलिस द्वारा की जा रही सघन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया, किन्तु पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. रामतेज यादव उर्फ रिंकू पुत्र अमर सिंह यादव निवासी ग्राम सुरिया मऊ नया पुरवा थाना गौसाईगंज जनपद लखनऊ।
02. अमन कुमार पुत्र दिनेश कुमार निवासी ग्राम कल्लू पुरवा थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।
03. फुरकान पुत्र जलालुद्दीन निवासी ग्राम बसहा थाना गुडम्बा कुर्सी रोड जनपद लखनऊ।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0 108/2026 धारा 317(2) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

<u>अनावरित अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–114/2026 धारा 303(2) थाना रेउसा जनपद सीतापुर।
02. मु0अ0सं0 256/2025 धारा 303(2) थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर।

<u>बरामदगी–</u>

01. 01. 01 अदद चोरी की बोलेरो वाहन रजि0 सं0 UP34AD6235
02. 01 अदद महिन्द्रा ट्रैक्टर 265 DI
03. 01 अदद ट्राली

<u>अभियुक्त रामतेज यादव उर्फ रिंकू का आपराधिक इतिहास–</u>

01. मु0अ0सं0–145/2025 धारा 305, 317(2) बीएनएस थाना सतरिख बाराबंकी।
02. मु0अ0सं0–173/2025 धारा 305, 317(2) बीएनएस थाना सतरिख बराबंकी।
03. मु0अ0सं0–76/2025 धारा 338(सी), 303(2), 317(2) बीएनएस थाना स्वरुपनगर कानपुर।
04. मु0अ0सं0–278/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना बन्थरा लखनऊ।
05. मु0अ0सं0–33/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ।
06. मु0अ0सं0–114/2024 धारा 379/411 भादवि थाना गोमतीनगर लखनऊ।

<u>अभियुक्त अमन कुमार का आपराधिक इतिहास–</u>

01. मु0अ0सं0–216/2024 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कुर्सी बराबंकी।
02. मु0अ0सं0–298/2024 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कुर्सी बराबंकी।
03. मु0अ0सं0–299/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुर्सी बाराबंकी।
04. मु0अ0सं0–92/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सैदपुर लखनऊ।

<u>अभियुक्त फुरकान पुत्र जलालुद्दीन का आपराधिक इतिहास–</u>

01. मु0अ0सं0–348/2023 धारा 379/411भादवि थाना महमूदाबाद सीतापुर।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. थानाध्यक्ष अभय सिंह थाना नवाबगंज।
02. उ0नि0 श्री विभव सिंह।
03. हे0का0 अभिषेक सिंह।
04. हे0का0 सुनील यादव।
05. हे0कां0 आनन्द सिंह।
06. का0 अतुल सिंह।
07. का0 अखिलेश यादव।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 15.04.2026

"मिशन शक्ति फेज–5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत गोण्डा पुलिस द्वारा महिला एवं बाल सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु शैक्षणिक संस्थानों के साथ व्यापक जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन–

गोण्डा। शासन की मंशा के अनुरूप पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में तथा जनपदीय नोडल अधिकारी श्री अजीत कुमार रजक, अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) के नेतृत्व में आज दिनांक 15.04.2026 को रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा स्थित अमर शहीद राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी बहुउद्देशीय हॉल में जनपद के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के साथ सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। जनपद में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए जाने तथा समाज में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 25 शैक्षणिक संस्थानों के 25 प्रधानाचार्य, 72 सहायक अध्यापक एवं 67 अभिभावकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों को मिशन शक्ति फेज–5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण, साइबर अपराध से बचाव, एंटी रोमियो अभियान, गुड टच–बैड टच, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग तथा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम में 02 लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, जिनके माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही पम्पलेट वितरित कर प्रतिभागियों को विभिन्न सुरक्षा उपायों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। उपस्थित अधिकारियों द्वारा शिक्षकों एवं अभिभावकों को बच्चों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने, उनके साथ संवाद बनाए रखने, साइबर स्पेस में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही विद्यालयों में समय–समय पर इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर बल दिया गया। इस अवसर पर उप निरीक्षक श्रीमती प्रतिभा सिंह, प्रभारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन/मय टीम तथा एंटी रोमियो टीम प्रभारी महिला उप निरीक्षक पूजा वर्मा मय टीम उपस्थित रहीं। उनके द्वारा प्रतिभागियों को महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों, आत्मरक्षा के उपायों एवं पुलिस द्वारा संचालित विभिन्न सुरक्षा अभियानों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। गोण्डा पुलिस द्वारा जनसुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण हेतु इस प्रकार के जनजागरूकता कार्यक्रम आगे भी निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे।

मीडिया सेल, गोण्डा।